क्रम संख्या व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज बुद्धलाल बनाम घासीलाल निगरानी संख्या 37/21 (2021/40)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.07.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण उपस्थित। प्रार्थी की ओर से उपरोक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2) के तहत नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से नसिया कॉलोनी स्कीम नंबर 1 गंगापुर सिटी के भूखण्ड संख्या 164–165 के संबंध में जारी की गई निर्माण स्वीकृति दिनांक 28.01.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। निगरानी में वर्णित तथ्यों के अनुसार अध्यक्ष पंचकोली समाज कोलीपाड़ा गंगापुर सिटी की ओर से पंचकोली समाज गंगापुर सिटी के पक्ष में नगर परिषद गंगापुर सिटी के द्वारा जारी किये गये पट्टा दिनांक 04.07.2018 में वर्णित भूमि में निर्माण स्वीकृति दिये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के संबंध में नगर परिषद द्वारा निर्माण स्वीकृति दिनांक 28.01.2020 को जारी की गई है। उक्त निर्माण स्वीकृति को प्रार्थी की ओर से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि नगर परिषद द्वारा जारी किये गये पट्टे दिनांक 04.07.2018 से संबंधित पत्रावली तलब किये बिना निर्माण स्वीकृति जारी की गई। नगर परिषद से निर्माण स्वीकृति संबंधी पत्रावली तलब किये जाने पर आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी द्वारा पत्र क्रमांक 854 दिनांक 17.05.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण स्वीकृति संबंधी पत्रावली नगर परिषद कार्यालय में नहीं मिलने पर सर्च वारण्ट क्रमांक 668 दिनांक 08.05.2024 को जारी किया गया है। इसके बाद में भी पत्रावली नहीं मिलने के कारण थानाधिकारी पुलिस थाना गंगापुर सिटी को पत्र क्रमांक 788 दिनांक 14.05.2024 के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने हेतु भिजवाया गया है। वकील उभयपक्षकारान की ओर से यह सहमति दी गई कि नगर परिषद गंगपुर सिटी की ओर से जारी पट्टा दिनांक 04.07.2018 के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील संख्या 31/21 प्रार्थी की ओर से दर्ज की गई है। उपरोक्त प्रकरण में अन्तिम बहस की जा चुकी है। अपील में हुये निर्णय के आधार पर उक्त निगरानी भी निस्तारित की जावे। चूंकि उपरोक्त प्रकरण में नगर परिषद गंगापुर सिटी के द्वारा जारी की गई निर्माण स्वीकृति संबंधी पत्रावली प्राप्त नहीं हो सकी है। अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से अदालत हाजा में अपील संख्या 31/21 उनवानी बुद्धलाल बनाम घासीलाल के नाम से दायर की हुई है, जो कि नगर परिषद गंगापुर सिटी के द्वारा नसिया कॉलोनी स्कीम नंबर 1 गंगापुर सिटी के भूखण्ड संख्या 164–165 के संबंध में जारी किये गये पट्टे दिनांक 04.07.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से उक्त पट्टे के आधार पर रैस्पोडेन्ट की संस्था के पक्ष में निर्माण स्वीकृति दिनांक 28.01.2020 को जारी की गई है। अपीलान्ट की ओर से पट्टा दिनांक 04.07.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 31/21 अदालत हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 02.07.2024 के द्वारा गुणावगुण के आधार पर खारिज की जा चुकी है। जिसमें यह माना गया है कि नगर परिषद गंगापुर सिटी की ओर से पट्टा दिनांक 04.07.2018 किसी व्यक्ति विशेष के नाम से जारी नहीं कर अध्यक्ष पंचकोली समाज गंगापुर सिटी के नाम जारी किया गया है। नगर परिषद की ओर से जारी पट्टा दिनांक 04.07.2018 के आधार पर नगर परिषद के द्वारा रैस्पोडेन्ट की संस्था के पक्ष में दिनांक 28.01.2020 को निर्माण स्वीकृति जारी की गई है। जब नगर परिषद की ओर से जारी पट्टा दिनांक 04.07.2018 को उचित माना गया है तो उपरोक्त पट्टे के आधार पर जारी की गई निर्माण स्वीकृति में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त निगरानी अपीलान्ट की ओर से पट्टे दिनांक 04.07.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील संख्या 37/21 को खारिज किये जाने के आधार पर उक्त निगरानी को भी खारिज किया जाता है। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 02.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 2.7.2024 (साँवर मल वर्मा) संभागीय आयुक्त भरतपुर	